

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

दिनांक: 13.6.23

क्रमांक :- शीडर/2023/844

आदेश

श्री राजीव पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढावा ने चक 1 बीजीपी के खाता संख्या 85 के प.न. 216/132 के मु.न. 10 के किला नं. 3 मे व प.न. 216/132 के मु.न. किला नं. 8 से रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का निवेदन किया। इस संबंध में काशीराम, रणजीत, भादरराम पुत्रगण अरजन जाति जाट निवासीगण ढावा तहसील संगरिया न 500/-रूपये के नोनज्यूडीसीयल स्टाम्प नोटेरी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत कर उक्त रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की गई।

संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक/हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार चक 1 बीजीपी के मुस्तरका खाता संख्या 85 अजयकुमार वगैरा आपसी सहमति से मु.न. 10 के किला नम्बर 3 में उत्तर से दक्षिण में 16.5 फुट व किला नम्बर 8 मे उत्तर से दक्षिण 25 फुट तक 16.5 फुट रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है एवं रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई। राज. उपनिवेशन (सामान्य शर्तों) 1955 की शर्त 8 में दिनांक 11.05.2012 को जरिये अधिसूचना संशोधन हो चुका है। जिसमें जन सामान्य व सरकार के पक्ष में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है।

अतः उक्त शर्तों के अध्यक्षीन राजस्व रिकॉर्ड में चक 1 बीजीपी प.न. 216/132 मु.न. 10 के किला नम्बर 3 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण में 16.5 फुट व किला नम्बर 8 मे पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण 25 फुट तक 16.5 फुट गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार संगरिया राजस्व रिकार्ड में आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्धा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जावे। स्वीकृत रास्ते पर किसी खातेदार के स्वत्व के अधिकार, इस आदेश के फलस्वरूप समाप्त समझे जायेंगे।

कि.न. 3	↑ ↓	165" × 16.5"
कि.न. 8	↑ ↓	25" × 16.5"



17/6/23

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

क्रमांक :- सम/845

दिनांक :- 17.6.23

प्रतिलिपि :- तहसीलदार राजस्व संगरिया को भेजकर लेख है कि यदि खाता अपवादित हो तो आदेश अनुसार रास्ते का नोट लगावे।

17/6/23
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया